भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3065
18 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी गरीबों का विस्थापन

+3065. श्री सुदामा प्रसादः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विशेषकर दिल्ली में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों और शहरी गरीबों के पुनर्विकास और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में कार्य के दौरान नियमित विस्थापन को ध्यान में रखते हुए शहरी पुनर्विकास और आवास आवंटन के दौरान अनौपचारिक आजीविका की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) अथवा किसी अन्य योजना के अंतर्गत ऐसे बेदखल किए गए लोगों की वर्ष-वार संख्या कितनी है जिन्हें पुनर्वासित किया गया है अथवा वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया गया है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, स्लम पुनर्विकास/पुनर्वास सहित अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाएं अपने-अपने क्षेत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। इसलिए, मंत्रालय द्वारा विस्थापित और पुनर्वासित स्लमवासियों की संख्या से संबंधित आंकडे नहीं रखे जाते हैं।

हालाँकि, जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) का संबंध है, स्लम पुनर्वास और/अथवा पुनर्स्थापन विभिन्न लागू अधिनियमों के उपबंधों के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) आदि जैसी विभिन्न भू-स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार, स्लम पुनर्वास कार्यक्रम के भाग के रूप में, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पात्र स्लम वासियों के समुचित पुनर्वास के बाद ही इनका पुनर्विकास किया है। इसमें कुल 5,158 परिवार शामिल हैं, जिनमें से कुल 3,414 को डीयूएसआईबी नीति के अनुसार वैकल्पिक पुनर्वास के लिए पात्र पाया गया। पात्र निवासियों को सभी आधुनिक सुविधाओं वाला वैकल्पिक

पुनर्वास प्रदान किया गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए स्लम पुनर्वास का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

कार्यान्वयन एजेंसियां अपनी भूमि प्रबंधन नीतियों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की स्लम पुनर्वास नीति के आधार पर स्लम पुनर्वास परियोजनाओं का निष्पादन करती हैं। यदि लाभार्थी अन्यथा पात्र हैं, तो स्लम पुनर्वास और/या पुनर्स्थापन के दौरान, भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियां/कार्यान्वयन एजेंसियां और प्रभावित परिवार/लाभार्थी प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत भी सहायता मांग सकते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी निधियों के माध्यम से पुनर्वास परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) स्लमवासियों सहित पात्र परिवारों/लाभार्थियों के लिए आवासों के निर्माण के लिए 25.06.2015 से पीएमएवाई-यू के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। यह योजना चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), 'स्व-स्थाने' स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की गई थी। वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए इस योजना की अवधि को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

दिल्ली में, पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के सीएलएसएस/आईएसएस घटक के तहत 31,346 लाभार्थियों ने लाभ उठाया है। इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के तहत सीएलएसएस घटक 31.03.2022 को समाप्त हो गया।

*****

दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3065 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए स्लम पुनर्वास का ब्यौरा

क्र. सं.	**जेजे क्लस्टर**	**स्लम पुनर्वास परियोजनाओं का स्थान**	**आबंटन की संख्या**
1.	भूमिहीन कैंप, गोविंदपुरी (कालकाजी)	कालकाजी एक्सटेंशन	1,907
2.	जेलरवाला बाग	स्वाभिमान अपार्टमेंट, जेलरवाला बाग, अशोक विहार	1,087
3.	गोल्डन पार्क, रामपुरा	स्वाभिमान अपार्टमेंट, जेलरवाला बाग, अशोक विहार	271
4.	माता जय कौर	स्वाभिमान अपार्टमेंट, जेलरवाला बाग, अशोक विहार	46
5.	जेजे क्लस्टर कालीबाड़ी आरएमएल अस्पताल के पास	सेक्टर जी-7/जी-6 नरेला	103
कुल			**3,414**